श्री श्याम रजक
मंत्री, उद्योग विभाग
बिहार सरकार

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

श्री नीतीश कुमार
मुख्यमंत्री, बिहार

उद्योग विभाग

वार्षिक प्रतिवेदन 2019–20
वार्षिक कार्यक्रम 2020–21

भारत वर्ष का सबसे बड़े
खादी मॉल भवन, पटना

श्री नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री
बिहार द्वारा
खादी मॉल, पटना का उद्घाटन

भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला
नई दिल्ली में गोल्ड मेडल
ग्रहण करते हुए

श्याम रजक
मंत्री, उद्योग विभाग

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

संदेश

निरन्तर प्रगति पथ पर अग्रसर बिहार सरकार के उद्योग विभाग का वार्षिक प्रतिवेदन 2019–20 आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुये प्रसन्नता हो रही है। राज्य उद्योग एवं उद्यमिता के विकास की ओर अग्रसर है।

सरकार द्वारा किये गये नीतिमूलक निर्णय के फलस्वरूप राज्य में औद्योगिकरण की गति तीव्र हुई है। औद्योगिक निवेश को सुगम बनाने हेतु संस्थागत सुदृढ़ीकरण किया गया है। सभी प्रकार के क्लियरेन्स, अनापत्ति प्रमाण–पत्र आदि के लिये ऑन लाईन क्लियरेन्स पोर्टल की व्यवस्था की गयी है। उद्योग की स्थापना से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं परामर्श विभाग के अधीन कार्यरत उद्योग मित्र द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है।

राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग के युवा/युवतियों को सूक्ष्म एवं लघु उद्योग स्थापना हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना विभाग द्वारा लागू की गयी है।

हस्तकरघा एवं रेशम बुनकरों के समग्र विकास के लिये कई परियोजनाएँ प्रारंभ की गयी है, जिससे इस क्षेत्र में उत्पादन, प्रशिक्षण, विपणन को बढ़ावा देकर रोजगार सृजन की व्यवस्था की गयी है।

खादी के समग्र विकास हेतु बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से कतिन, बुनकर के रोजगार सृजन हेतु संस्था/समिति को करघा, चरखा एवं कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जा रही है। उनके उत्पादित वस्त्रों की बिक्री सुनिश्चित करने हेतु खादी मॉल का शुभारंभ किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिये उद्योग विभाग के अंतर्गत वृहत, मध्यम प्रक्षेत्र तथा लघु उद्योग प्रक्षेत्र के लिए ₹710.00 करोड़ उद्व्यय योजना मद में कर्णांकित था, जो कि पुनरीक्षित होकर ₹713.00 करोड़ का हो गया है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए योजना मद में ₹810.00 करोड़ एवं स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में ₹105.84 करोड़ अर्थात कुल ₹915.84 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

उद्योग विभाग अपनी नीतियों में सफल होकर नये औद्योगिक बिहार का सपना साकार कर सके, इसके लिये हमें निरन्तर आपके द्वारा मूल्यांकन आधारित सहयोग अपेक्षित है।

शुभकामनाओं के साथ,

भवदीय

(श्याम रजक)
उद्योग मंत्री, बिहार

वित्तीय वर्ष 2019–20 की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

★ राज्य में त्वरित औद्योगिक विकास के लिए 01 सितम्बर, 2016 से लागू बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के तहत 06 फरवरी, 2020 तक राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद की बैठक में कुल 1399 प्राप्त आवेदनों में से 1214 इकाइयों को स्टेज–I क्लियरेंस तथा 315 इकाइयों को वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस की स्वीकृति प्रदान की गई है जिसमें से अबतक 210 इकाइयाँ कार्यरत है।

- SIPB के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में दिनांक 06.02.2020 तक कुल ₹50.52 करोड़ तथा 2016 से कुल ₹106.52 करोड़ का भुगतान किया गया है।

- वित्तीय वर्ष 2019–20 में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 तथा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के तहत राज्य के औद्योगिक इकाइयों को देय सुविधाओं की प्रतिपूर्ति हेतु 170.20 करोड़ (एक सौ सत्तर करोड़ बीस लाख रूपए मात्र) की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

★ राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के उद्यमिता को बढ़ाने हेतु स्टार्ट–अप नीति, 2017 लागू किया है। यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से 05 (पाँच) वर्षो तक प्रभावी होगी। वित्तीय सहायता इन्क्यूबेशन सेंटर, फन्डिंग, प्रचार–प्रसार, प्रमाणीकरण आदि की व्यवस्था इस नीति के मुख्य अंग हैं।

- इस योजनान्तर्गत दिनांक 02.01.2020 तक कुल 11174 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं। जिसमें इन्क्यूबेशन हेतु संबद्ध स्टार्ट–अप की संख्या 1381 हैं।

- बिहार स्टार्ट–अप फंड ट्रस्ट द्वारा प्रमाणीकृत 90 स्टार्ट–अप में से 60 स्टार्ट–अप को प्रथम किस्त के रूप में ₹155.41 लाख, 40 स्टार्ट–अप को द्वितीय किस्त के रूप में ₹246.73 लाख अर्थात कुल ₹402.14 लाख का भुगतान किया गया है।

★ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को उद्योग स्थापित करने में अभिरूचि पैदा करने एवं सुक्ष्म एवं लघु उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्व–रोजगार हेतु मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान देने हेतु संचालित किया गया है।

- इस योजना अंतर्गत अबतक 45631 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 4868 आवेदनों को चयनित किया गया है। इस योजना अंतर्गत चयनित आवेदकों में से 3641 आवेदकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, प्रशिक्षणोपरांत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किस्त के रूप में कुल ₹109.00 करोड़ वितरित किया जा चुका है।

★ मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग कलस्टर विकास योजना :

- मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग कलस्टर विकास योजनांतर्गत कुल 8 कलस्टरों में सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना हेतु तैयार डी.पी.आर. पर राज्य स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

- इसके अन्तर्गत अबतक 07 कलस्टरों यथाः राईस मिल कलस्टर–लखीसराय, मेनमेहसी सीप बटन कलस्टर–पूर्वी चम्पारण, बथना सीप बटन कलस्टर–पूर्वी चम्पारण, सिलाव खाजा कलस्टर–नालन्दा, कन्हैयागंज झूला कलस्टर–नालन्दा, काँसा–पीतल कलस्टर–वैशाली एवं काँसा–पीतल कलस्टर–

पश्चिमी चम्पारण में सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना के लिए ₹2125.28 लाख मात्र की विमुक्ति की गई है।

- **कृषि उत्पादों के संरक्षण/भंडारण के लिये एक ई. रेडिएशन–सह–पैक हाउस की समेकित ईकाई की स्थापना औद्योगिक क्षेत्र, फतुहा :**–कृषि उत्पादों के संरक्षण/भंडारण के लिये एक ई0 रेडिएशन–सह–पैक हाउस (सामान्य सुविधा केन्द्र) की समेकित ईकाई की स्थापना हेतू ₹5083.43 लाख (पचास करोड़ तेरासी लाख तेतालीस हजार रूपये) मात्र के योजना की स्वीकृति प्राप्त है। इस योजना अन्तर्गत कृषि उत्पादों के संरक्षण/भंडारण कर निर्यात किया जाना है।

★ कौशल विकास मिशन कार्यक्रम :

कौशल विकास कार्यक्रम के तहत प्रत्येक वर्ष लगभग 15000 युवकों/युवतियों को रोजगार हेतु विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षित करना है। प्रशिक्षण बिहार कौशल विकास मिशन (बी0एस0डी0एम0) के गाईडलाईन के अनुसार उनके अनुमोदित प्रशिक्षण केन्द्रों तथा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार संचालित होता है।

- प्रशिक्षण आवासीय/गैर–आवासीय है। अबतक 3010 युवक/युवतियों को विभिन्न ट्रेडों में कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

★ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम :

- प्रधानमंत्री रोजगार सजृन कार्यक्रम अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में राज्य के भौतिक लक्ष्य 4943 एवं वित्तीय लक्ष्य (मार्जिन मनी) ₹14828.00 लाख के विरूद्ध बैंकों के माध्यम से अबतक 1261 आवेदकों के बीच ₹3878.62 लाख मार्जिन मनी (अनुदान) के रूप वितरित की गयी है।

★ हस्तकरघा प्रक्षेत्र की योजनाएँ :

- पुराने हैण्डलूम को 68 ईंच करघा में परिवर्तित करने की योजना– वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य के हस्तकरघा बुनकरों के पुराने लूम को 68 ईंच फ्रेम लूम (टेकअप मोशन सहित)/इससे अधिक चौड़ाई के फ्रेम लूम (टेकअप मोशन सहित) में परिवर्तित करने के निमित्त ₹44.82 लाख (चौवालीस लाख बेरासी हजार) की स्वीकृति प्रदान की गई थी। जिसमें 46 बुनकर लाभान्वित हुए है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में ₹49.95 लाख स्वीकृति प्रदान की गई है।

- हस्तकरघा बुनकरों को कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराने की योजना– वित्तीय वर्ष 2018–19 में हस्तकरघा पर यू.आई.डी. (UID) उत्कीर्ण लूम धारकों को ₹10,000.00 (दस हजार) प्रति बुनकर कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराने हेतु ₹6,72,70,000.00 (छः करोड़ बहत्तर लाख सत्तर हजार) मात्र की स्वीकृति तथा इसमें प्रथम चरण में ₹6,66,00,000.00 (छः करोड़ छियासठ लाख) की विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। यह लाभ यू.आई.डी. उत्कीर्ण पाटी लूम धारक कम्बल बुनकरों को भी मिल रहा है। अब तक योजनान्तर्गत 4246 बुनकरों को लाभान्वित किया गया है। जिसमें 4.2460 करोड़ (चार करोड़ चौबीस लाख साठ हजार) व्यय किया गया है।

- साथ ही वित्तीय वर्ष 2019–20 में हस्तकरघा पर यू.आई.डी. (UID) उत्कीर्ण लूम धारकों को ₹10,000.00

(दस हजार) प्रति बुनकर कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराने हेतु ₹6,70,000.00 (छः लाख सत्तर हजार) मात्र की विमुक्ति की स्वीकृति भागलपुर एवं बांका जिले के लिए प्रदान की गयी है।

★ विद्युतकरघा प्रक्षेत्र :

- **विद्युत करघा बुनकरों को विद्युत अनुदान :** विद्युत करघा पर वस्त्र बुनाई के लिए बिजली खपत पर ₹3.00 प्रति यूनिट की दर से विद्युत अनुदान उपलब्ध कराई जा रही है। अनुदान राशि की प्रतिपूर्ति विद्युत करघा बुनकरों को करने के बजाय, लाभुकों को सीधे विद्युत विपत्र में ₹3.00 प्रति यूनिट की दर से काटकर विद्युत विपत्र ऊर्जा विभाग द्वारा भेजी जाती है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में इस योजनान्तर्गत ₹344.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है।

★ मलवरी विकास परियोजना :

- वर्तमान में 6360 किसानों का चयन किया गया है। कुल 4706 किसानों द्वारा अबतक 2353 एकड़ में शहतूत की खेती की गई है। 1975 लाभुकों को सिचाई सुविधा, 3103 लाभुकों को कीटपालन उपस्कर उपलब्ध कराया गया है। 963 लाभुकों को कीटपालन घर बनाने के लिए सहायता दी गई है। वर्ष 2018–19 में 97500 रोग मुक्त चकत्ते का कीटपालन कर लगभग 19.00 मि.टन मलवरी कोए का उत्पादन किया गया है। 13 नोडल सेंटर की मरम्मती करा लिया गया है।

★ तसर विकास परियोजना :

- बांका, मुंगेर, नवादा, कैमूर, जमुई आदि जिलों में तसर विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वर्तमान में 5434 परिवार इस उद्योग में लगे हुए हैं। वर्ष 2018–19 में राज्य में 38.39 मि.टन तसर रॉ सिल्क का उत्पादन हुआ है।
- थाई रीलिंग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत बांका एवं भागलपुर के 661 थाई रीलरों को बुनियाद मशीन निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है। इन्हें प्रशिक्षण भी दिया गया है।

★ अण्डी :

- बेगूसराय जिले में अण्डी रेशम का उत्पादन होता है। वर्तमान में 1373 परिवार इस उद्योग से जुड़े हैं। वर्ष 2018–19 में 8.73 मि.टन अण्डी सूत का उत्पादन हुआ है। मुजफ्फरपुर जिले में 105 व्यक्तियों को अण्डी की खेती एवं कीटपालन का प्रशिक्षण दिया गया है। उन्हें कीटपालन घर बनाने के लिए दो किस्तों में ₹70,000/– की सहायता प्रत्येक लाभुकों को दी गई है। सभी लाभुकों को कीटपालन उपस्कर उपलब्ध कराया गया है। वर्ष 2019–20 में 200 लाभुकों को 15 दिन का अण्डी रेशम कीटपालन प्रशिक्षण दिया गया है।

★ हस्तकरघा एवं रेशम भवन :

- रेशम नगरी, भागलपुर में ₹1364.00 लाख की लागत से हस्तकरघा एवं रेशम भवन का निर्माण बिहार राज्य भवन निर्माण निगम से कराया जा रहा है।

- इस प्रकार राज्य में रेशम विकास के माध्यम से ग्रामीण आबादी को स्थानीय रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किया जा रहा है।

★ खादी :

- बिहार राज्य में अवस्थित खादी ग्रामोद्योग संस्था/समिति के लिए बिहार सरकार द्वारा खादी पुनरूद्धार योजना लागू की गई है। इसके साथ ही खादी वस्त्र के उत्पादन एवं बिक्री की क्षमता को बढ़ाकर खादी संस्था/समितियों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। इसके तहत खादी संस्था/समितियों को विभिन्न प्रकार के लाभ दिये जा रहे है :

  ✓ **आधुनिक चरखा का वितरण :** खादी संस्था/समितियों को 1000 नग त्रिपुरारि मॉडल चरखा तथा 998 नग आधुनिक चरखा कुल 1998 नग चरखा उपलब्ध कराया गया है।

  ✓ **कटिया चरखा का वितरण :** भागलपुर एवं कुछ अन्य जिलों में जिन खादी संस्थाओं द्वारा रेशम के वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। उन संस्थाओं के मांग पर 930 नग कटिया चरखा उपलब्ध कराया गया है।

  ✓ **आधुनिक लूम का वितरण :** खादी पुनरूद्धार योजना के अन्तर्गत बिहार स्थित खादी संस्थाओं को 303 करघा क्रय वास्ते 90% अनुदान पर राशि उपलब्ध करायी गई है। प्रत्येक 05 चरखा पर 01 करघा संस्थाओं को दिया जा रहा है।

  ✓ **कार्यशील पूँजी :** खादी संस्थाओं को अपना कार्य सूचारू रूप से चलाने तथा कच्चामाल एवं कतिनों/बुनकरों को समय पर पारिश्रमिक देने हेतु कार्यशील पूँजी मात्र 4% के ब्याज पर ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है।

  ✓ **प्रशिक्षण :** आधुनिक एवं उन्नत चरखा तथा लूम के संचालन हेतु कतिन एवं बुनकरों को नये डिजाइन का प्रशिक्षण देकर बाजार की मांग के अनुरूप खादी वस्त्रों का उत्पादन किया जा रहा है। खादी वस्त्रों की डिजाइन एवं गुणवत्ता में वृद्धि की जा रही है। बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना के माध्यम से 374 कतिनों को सुत कताई एवं 125 बुनकरों को वस्त्र बुनाई का प्रशिक्षण दिया गया है।

  ✓ **मार्केटिंग :** बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना के माध्यम से बिहार के खादी संस्थाओं को मार्केटिंग की सुविधा राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाती है। इसके तहत खादी की बिक्री एवं प्रचार–प्रसार के लिए खादी मेला–सह–प्रदर्शनी आयोजित की जाती है, जिससे खादी वस्त्रों की बिक्री में काफी वृद्धि हुई है।

  ✓ बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा खादी के प्रचार–प्रसार हेतु अन्य राज्यों जैसे कोच्चि (केरल), सेलम (तमिलनाडू) एवं मुम्बई (महाराष्ट्र) में बिहार खादी उत्पादित वस्त्रों की बिक्री को बढ़ावा देने तथा Buyer Seller Meet मेला/प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है।

  ✓ **खादी का ऑनलाईन मार्केटिंग :** Amazon India में खादी का Online Marketing किया जा रहा है। Amazon India के बेवसाइट पर 20 डिजाइन डाला गया है, जिसका Online Marketing हो रहा है। इसके लिए खादी बोर्ड एवं Amazon India के बीच एक एकरारनामा भी किया गया है।

Flipkart से Online बिक्री प्रारंभ हो गई है।

- ✓ खादी वस्त्रों की बिक्री हेतु रेमण्ड इण्डिया के साथ खादी बोर्ड का एकरारनामा किया गया है। रेमण्ड इण्डिया द्वारा बिहार के खादी संस्थाओं को 29500 मीटर खादी वस्त्र का आदेश दिया गया है, जिसे रेमण्ड इण्डिया को भेजा गया है।
- ✓ **Inventory Management System:-** खादी बोर्ड के PMA द्वारा खादी बोर्ड के शो–रूम, पटना एवं पटना के बाहर के बिक्री केन्द्रों में IMS System को लागू किया गया, इसके अलावा 41 खादी संस्थाओं में भी यह लागू किया गया है।
- ✓ बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के गाँधी मैदान, पटना में खादी मॉल खोला गया है। जिसका उद्घाटन दिनांक–05.11.2019 को माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा दिया गया है, जिसमें खादी के सूती, रेशमी, ऊनी एवं पॉली वस्त्रों का अलग–अलग सेक्शन है। इसके अतिरिक्त ग्रामोद्योगी सामग्रियों, चर्म शिल्प, हस्तशिल्प के उत्पादों का अलग–अलग सेक्शन है।
- ✓ बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के गाँधी मैदान, पटना स्थित कार्यालय 7 तल्ला का तैयार किया जा रहा है, जिसका कार्य अंतिम चरण में है। इस माह के अंत तक इसे तैयार कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

★ बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार :

- बियाडा अंतर्गत चार क्षेत्रीय कार्यालय है, जिनके अधीन कुल 52 औद्योगिक क्षेत्र/प्रांगण/विकास केन्द्र एवं मेगा औद्योगिक पार्क अवस्थित है। वर्ष 2019–2020 में उद्योग की स्थापना हेतु 70 इकाइयों के बीच 32.62 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया है।

★ आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार :

- आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार के द्वारा खादी मॉल, पटना का निर्माण कार्य पूरा किये जाने के साथ–साथ जिला उद्योग केन्द्र– औरंगाबाद, बक्सर, खगड़िया, पूर्णिया, जहानाबाद, छपरा, मधेपुरा, नवादा, सुपौल के भवन का रिनोवेशन किया गया है।

★ उद्योग मित्र :

- उद्योग मित्र सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट–21, 1860 के अन्तर्गत निबंधित, पूर्णरूपेण उद्योग विभाग, बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन, पूर्णतः राज्य सरकार के अनुदान पर एवं बिना लाभ हानि के चलित कार्यालय है। उद्योग मित्र का मुख्य उद्देश्य आगन्तुक उद्यमियों को उद्योग स्थापित/विस्तार करने हेतु आवश्यक सलाह, वांछित प्रोजेक्ट प्रोफाइल/आँकड़े/सूचनायें आदि सुलभ ढंग से उपलब्ध कराना एवं इस क्रम में आने वाली विभिन्न समस्याओं के निराकरण में सकारात्मक सहयोग करना है।

  उद्योग मित्र द्वारा समय–समय पर औद्योगिक विषयों पर सेमिनार, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर तथा औद्योगिक योजनाओं से संबंधित ब्रोशर/पुस्तिका आदि प्रकाशित कर राज्य के उद्यमियों, योजनाकारों, शोधकर्त्ताओं आदि को मदद करना है।

★ उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान की योजना का सुदृढ़ीकरण :

- **हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम :–** संस्थान के स्थापना काल से हस्तशिल्प के विभिन्न विधाओं में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देने का प्रावधान है जो दो सत्रों (जनवरी–जून एवं जुलाई–दिसम्बर) में चलाया जाता रहा है। प्रत्येक सत्र में 88 अर्थात् एक कलैंडर वर्ष में दोनों सत्र मिलाकर 176 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है। चयनित प्रशिक्षणार्थियों को प्रतिमाह 800.00 रू0 छात्रवृत्ति एवं पटना नगर निगम से बाहर रहने वाले प्रशिक्षणार्थियों को निःशुल्क छात्रावास आवंटन किया जाता है एवं प्रति प्रशिक्षणार्थी 1500.00 रू0 प्रतिमाह छात्रावास भत्ता का भुगतान किया जाता है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय के IDPH योजनान्तर्गत राज्य के दर्जनों स्थलों पर हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

- **डिजाइन एवं तकनीकी विकास कार्यशाला :–** वर्त्तमान युग में भूमंडलीकरण और बाजारवाद का है। इसमें वर्चस्व उसी को प्राप्त होता है जो सर्वाधिक प्रभावशाली हो। उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना की ओर से राज्य के शिल्पियों को बाजार की मांग के अनुरूप नये–नये डिजाइन की ट्रेनिंग हेतु डिजाइन एवं तकनीकी विकास कार्यशाला का आयोजन राज्य के 40 स्थलों पर भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय के IDPH योजनान्तर्गत किया जा रहा है।

- **सामान्य सुविधा केन्द्र :–** भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय के IDPH योजनान्तर्गत राज्य के पंद्रह स्थलों पर 15 करोड़ की लागत से हस्तशिल्प के क्षेत्र में कार्यरत शिल्पियों हेतु सामान्य सुविधा केन्द्र का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें शिल्पियों के उपयोग हेतु सारी सुविधाएँ उपलब्ध रहेगी। आरा (भोजपुर) एवं पत्थरकट्टी (गया) मे निर्माण कार्य पूर्ण हो चूका है शेष स्थलों पर निर्माण कार्य प्रगति पर है।

★ राज्य स्तरीय मेला एवं प्रदर्शनी :

- प्रत्येक वर्ष राज्य के उद्यमियों / लघु उद्योगों / शिल्पियों / बुनकरों को एक मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उद्योग विभाग द्वारा मेला एवं प्रदर्शनी आयोजित किया जाता है, जो औद्योगिक विकास हेतु उनके उत्पादों को बढ़ावा देने का एक प्रमुख साधन है।

- राज्य के ऐतिहासिक स्थान यथा–हरिहर क्षेत्र मेला, श्री उग्रतारा सांस्कृतिक महोत्सव, सहरसा एवं बिहार महिला उद्योग संघ द्वारा आयोजित महिला उद्योग मेला में जिसके माध्यम से राज्य के हस्तशिल्प बुनकरों एवं शिल्पकारों को निःशुल्क स्टॉल का आवंटन कर उनके उत्पादों के बिक्री / प्रदर्शनी का अवसर दिया गया। बिहार महिला उद्योग संघ द्वारा दिनांक 14–18 सितम्बर, 2019 तक ज्ञान भवन, पटना में आयोजित होने वाले हैण्डीक्राफ्ट / हैण्डलूम उत्पादों की प्रदर्शनी–सह–बिक्री हेतु उद्योग विभाग की ओर से 80 स्टॉल निःशुल्क दिया गया।

★ भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला :

- यह आयोजन राज्य के विकास योजनाओं के साथ–साथ विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति के प्रस्तुतीकरण हेतु एक लाभकारी योजना है।

- वर्ष, 2019 के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का थीम -"Ease of Doing Business" के अनुरूप बिहार मंडप के बाहरी एवं भीतरी भाग की भव्य सजावट मधुबनी पेंटिंग, मंजूषा पेंटिंग, टिकुली कला एवं टेराकोटा शिल्प से की गई थी, जो काफी आकर्षक थी।

- भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (14–27 नवम्बर, 2019) में बिहार मंडप में इस बार विभाग द्वारा 12–हैण्डलूम एवं 11– हैण्डीक्राफ्ट्स में हैण्डलूम एवं हस्तशिल्प उत्पादित सामानों की बिक्री–सह–प्रदर्शनी का भी सफल आयोजन किया गया। हस्तशिल्पियों द्वारा एक जीवंत प्रर्दशनी प्रस्तुत की गयी, जहाँ पर आगुन्तकों की काफी भीड. थी। 03 फूड स्टॉल में बिहार के मशहुर व्यंजन काफी लोकप्रिय रहा। इस मेले में बिहार मंडप को स्वर्ण पदक से नवाजा गया।
- पिछले 39 वर्षों से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में हो रहे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में बिहार 2014, 2015, 2016 एवं 2018 में भी गोल्ड मेडल से पुरस्कृत किया गया था।

उद्योग विभाग की संगठनात्मक व्यवस्था/प्रशासकीय स्वरूप

उद्योग विभाग में सचिवालय स्तर पर नियंत्री पदाधिकारी सचिव है जिन्हें सहयोग करने हेतु विशेष सचिव, अपर सचिव, उप सचिव, अवर सचिव तथा उप उद्योग निदेशक (योजना) हैं।

उद्योग विभाग के अन्तर्गत उद्योग निदेशालय, तकनीकी विकास निदेशालय, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय तथा खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय कार्यरत है।

उद्योग निदेशालय

उद्योग निदेशालय के नियंत्री पदाधिकारी उद्योग निदेशक हैं, जिन्हें सहयोग करने के लिए अपर निदेशक, संयुक्त उद्योग निदेशक, उप उद्योग निदेशक, सहायक उद्योग निदेशक, अर्थ अन्वेषक एवं उद्योग विस्तार पदाधिकारी हैं। इसके अलावा बिहार सचिवालय संवर्ग के प्रशाखा पदाधिकारी एवं सहायक भी पदस्थापित है। निदेशालय का प्रमुख कार्य राज्य के अन्तर्गत उद्योगों की स्थापना, उद्यमियों को प्रोत्साहित करने एवं राज्य में पूँजी निवेश को आकर्षित करने के लिए औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को कार्यान्वित करना है। साथ ही उद्यमियों की समस्या का निराकरण करना एवं इसके लिए अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करना है। उद्योग निदेशालय अंतर्गत एस.आई.पी.बी. (स्टेट इन्वेस्टमेनट प्रोमोशन बोर्ड) का सचिवालय भी कार्यरत है।

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 की धारा–5 एवं 6 में निहित प्रावधान के तहत राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद के सचिवालय का गठन किया गया है। इस सचिवालय में प्रधान सचिव, उद्योग विभाग–सह–औद्योगिक विकास आयुक्त, नगर विकास एवं आवास विभाग, श्रम संसाधन विभाग, वाणिज्य कर विभाग, बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंम्पनी लि., राजस्व एवं भूमि सूधार विभाग के नामित पदाधिकारी सदस्य के रूप में रहेंगे। निदेशक, उद्योग विभाग बिहार, सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगे।

जिला उद्योग केन्द्र

जिला उद्योग केन्द्र राज्य के औद्योगिकीकरण हेतु जिला स्तरीय कार्यालय है। राज्य के सभी 38 जिलों में जिला उद्योग केन्द्र अवस्थित है, जिसका मुख्य कार्य केन्द्रीय एवं राज्य योजनाएँ यथा–प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, उद्योगों की स्थापना में सहयोग करना, जिला स्तर पर उद्यमियों की समस्याओं का निराकरण, जिला स्तरीय उद्योग संघों से समन्वय स्थापित कर राज्य सरकार की नीतियों से अवगत कराना एवं उससे उनको लाभान्वित कर जिला के औद्योगिक विकास को तीव्रता प्रदान करना है।

मुख्यमंत्री सूक्ष्म, लघु उद्योग कलस्टर विकास योजनान्तर्गत सामान्य सुविधा केन्द्र (सी.एफ.सी.) की स्थापना कराना, भारत सरकार की योजनान्तर्गत सूक्ष्म, लघु उद्यम कलस्टर विकास योजना (एम.एस.ई.–सी.डी.पी.) को कार्यान्वित कराना, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 के तहत विशेष कलस्टर अन्तर्गत कॉमन फैसीलिटी सेन्टर स्थापित करवाना तथा इसके लिए चर्म उद्योग आधारित कलस्टर के लिए बेस लाईन सर्वे का कार्य एवं इसके अतिरिक्त टेक्सटाईल/अपेरल कलस्टर की स्थापना के लिए बेस लाईन सर्वे का कार्य जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम प्रक्षेत्र की ईकाई, जिन्होंने अपना उत्पादन कार्य शुरू कर दिया है वे ऑन–लाईन आवेदन कर उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त कर सकते है। पूर्व के उद्यमी ज्ञापन ई.एम.–1, ई.एम.–2 व्यवस्था को समाप्त कर दी गयी है।

इसके साथ ही साथ जिला के शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों को स्वरोजगार हेतु प्रेरित किया जाता है। जिला उद्योग केन्द्र के नियंत्री पदाधिकारी महाप्रबंधक होते हैं तथा इनके सहायतार्थ कार्यकारी प्रबंधक, परियोजना प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, अर्थ अन्वेषक, उद्योग विस्तार पदाधिकारी, कनीय सांख्यिकी सहायक एवं अन्य कार्यालय कर्मी होते हैं। उद्यमियों की समस्याओं के समाधान हेतु महाप्रबंधक को जिले के अन्दर सभी प्रकार की प्रशासकीय एवं वित्तीय शक्तियाँ उद्योग निदेशालय द्वारा प्रदत्त है।

तकनीकी विकास निदेशालय

तकनीकी विकास निदेशालय द्वारा मुख्य रूप से आधुनिक औद्योगिक आधारभूत संरचना का विकास, उद्यमिता विकास, गुणवत्ता एवं उत्पादकता तथा वृहत उद्योग प्रक्षेत्र में पूँजी निवेश के प्रस्तावों का समन्वय एवं अनुश्रवण के साथ–साथ उद्यमियों को परियोजनाओं के चयन में परामर्श दिया जाता है। नई औद्योगिक नीति के निरूपण में तकनीकी विकास निदेशालय की प्रमुख भूमिका होती है। औद्योगिक प्रोत्साहन नीति एवं प्रक्रिया का अन्तिम रूप तकनीकी विकास निदेशालय द्वारा दिया जाता है।

इस निदेशालय के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, तकनीकी विकास हैं, जिन्हें सहयोग करने हेतु अपर निदेशक (तकनीकी), संयुक्त निदेशक (तकनीकी), उप निदेशक (तकनीकी), सहायक निदेशक (तकनीकी) एवं तकनीकी पदाधिकारी हैं।

हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय

निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम के नियंत्रण में इस निदेशालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य हस्तकरघा एवं रेशम प्रक्षेत्र का समुचित विकास एवं राज्य के रेशम/मलवरी उत्पादकों तथा बुनकरों के कल्याणार्थ विभिन्न प्रकार की योजनाओं का कार्यान्वयन करना है।

इस निदेशालय में निदेशक के सहायतार्थ संयुक्त उद्योग निदेशक (तकनीकी), उप निदेशक (रेशम), सहायक निदेशक (बुनकर हस्तकरघा) एवं तकनीकी पदाधिकारी है। निदेशालय द्वारा हस्तकरघा एवं रेशम के विकासात्मक कार्यक्रमों का कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है तथा रेशम एवं हस्तकरघा विकास की केन्द्र एवं राज्य प्रायोजित योजनाओं का सूत्रीकरण, कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण के कार्य किये जाते हैं। साथ ही राज्य के हस्तकरघा बुनकरों के सहकारी सहयोग समितियों का प्रशासी विभाग, उद्योग विभाग है।

हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय के अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालयः

हस्तकरघा प्रक्षेत्र की योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु क्षेत्रीय स्तर पर उप विकास पदाधिकारी (वस्त्र) कार्यालय भागलपुर/गया/मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा में तथा रेशम प्रक्षेत्र की योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सहायक उद्योग निदेशक (रेशम) कार्यालय पटना/भागलपुर/पूर्णियाँ एवं मुजफ्फरपुर में अवस्थित है। आठ बुनकर प्रशिक्षण केन्द्र, आठ मलवरी प्रसार सह प्रशिक्षण केन्द्र पाँच तसर अग्रपरियोजना केन्द्र व एक तसर क्रयविक्रय संगठन एवं अंडी रेशम फार्म बेगूसराय भी कार्यरत है। इनके सहायतार्थ तकनीकी एवं गैर तकनीकी कर्मचारी पदस्थापित है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग निदेशालय

इस निदेशालय में निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण को संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, प्रशाखा पदाधिकारी, सचिवालय सहायक, अर्थ अन्वेषक एवं उद्योग विस्तार पदाधिकारी द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है।

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार

बियाडा अंतर्गत चार क्षेत्रीय कार्यालय है, जिनके अधीन कुल 52 औद्योगिक क्षेत्र/प्रांगण/विकास केन्द्र एवं मेगा औद्योगिक पार्क अवस्थित है। वर्ष 2019–2020 में उद्योग की स्थापना हेतु 70 इकाइयों के बीच 32.62 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया है। इस आवंटन में कुल 299.20 करोड़ रूपये का निवेश होगा एवं कुल 5212 लोगों को रोजगार की प्राप्ति होगी। वर्त्तमान समय में बियाडा में कुल 2534 औद्योगिक इकाइयाँ है, जिनमें से 1676 इकाइयाँ कार्यरत है।

आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार

राज्य सरकार द्वारा राज्य के भौतिक एवं सामाजिक आधारभूत संरचनाओं के तीव्र विकास एवं निजी प्रक्षेत्र की भागीदारी तथा प्रारुपण, वित्त, पोषण, पथ निर्माण, परिसंचालन, रख–रखाव आदि से संबद्ध विषयों पर प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक विलंब कम करने के उद्देश्य से बिहार आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी (इनेबलिंग) अधिनियम 2006 लागू किया गया। इसके तहत आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार का गठन 27.04.2006 को किया गया। इस प्राधिकार के अध्यक्ष सरकार के मुख्य सचिव एवं उपाध्यक्ष विकास आयुक्त हैं। साथ ही भूमि अर्जन के कार्य में तीव्रता लाने के लिए औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 के आलोक में लैंड बैंक की स्थापना 28.08.2006 को की गई। प्राधिकार के कार्यों का संपादन प्रभावी एवं सुचारु रूप से करने के लिए आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (वित्तीय, सेवा एवं तकनीकी) नियमावली, 2007 बनाई गई। आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार के द्वारा खादी मॉल, पटना का निर्माण कार्य पूरा किये जाने के साथ–साथ जिला उद्योग केन्द्र– औरंगाबाद, बक्सर, खगड़िया, पूर्णियाँ, जहानाबाद, छपरा, मधेपुरा, नवादा, सुपौल के भवन का रिनोवेशन किया गया है।

विभागीय योजनाओं का प्रगति प्रतिवेदन

उद्योग विभाग के अन्तर्गत वृहत, मध्यम उद्योग प्रक्षेत्र तथा ग्राम/लघु उद्योग प्रक्षेत्र के लिए वित्तीय वर्ष 2019–20 में मूल योजना उदव्यय् ₹710.00 करोड़ एवं पुनरीक्षित उदव्यय् ₹713.00 करोड़ निर्धारित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में मुख्य रूप से मुख्यमंत्री अनु.जाति/अनु.जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना हेतु ₹223.20 करोड़ आधारभूत संरचना का विकास हेतु ₹73.51 करोड़, औद्योगिक प्रोत्साहन नीति हेतु ₹370.20 करोड, हस्तशिल्प प्रक्षेत्र का विकास हेतु ₹9.00 करोड़, हस्तकरघा एवं रेशम प्रक्षेत्र का विकास हेतु ₹10.17 करोड़, खादी प्रक्षेत्र का विकास हेतु ₹8.00 करोड़ पुनरीक्षित उदव्यय् कर्णांकित किया गया है।

★ सरकार द्वारा राज्य में औद्योगिक विकास की दिशा में कई निर्णय लिये गये हैं तथा सफल कार्यान्वयन की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं।

- बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 के सभी या किसी प्रयोजन को क्रियान्वित करने के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली, 2016 दिनांक 2 दिसम्बर, 2016 से लागू की गई है। इसमें वित्तीय अधिसीमा को संशोधित करते हुए वैसे प्रस्ताव जिनमें ₹5.00 करोड़ (पाँच करोड़) और उससे कम निवेश हो उसे औद्योगिक विकास आयुक्त, जिनमें ₹5.00 करोड़ (पाँच करोड़) से अधिक और ₹15.00 करोड़ (पन्द्रह करोड़) तक का निवेश निहित हो उस पर माननीय मंत्री उद्योग विभाग, जिनमें ₹15.00 करोड़ (पन्द्रह करोड़) से अधिक और ₹30.00 करोड़ (तीस करोड़) तक का निवेश निहित हो उस पर

माननीय मंत्री उद्योग विभाग तथा माननीय मंत्री वित्त विभाग द्वारा संयुक्त रूप से निर्णय लिया जायेगा। ₹30.00 करोड़ (तीस करोड़) से उपर के निवेश प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिये जाने का प्रावधान किया गया है।

- राज्य में औद्योगिक निवेश के विकास एवं प्रोत्साहन को सहज बनाने के उद्देश्य से बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 सितम्बर, 2016 से लागू है। इसके तहत निवेशकों द्वारा कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में ऑनलाईन आवेदन प्राप्त कर 30 दिनों के भीतर राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् द्वारा स्वीकृति निर्गत किये जाने का प्रावधान है। उद्योग स्थापना एवं उत्पादन प्रारंभ करने के लिए सभी प्रकार के क्लियरेंस 30 दिनों अथवा संबंधित अधिनियम/नियम में विहित समय–सीमा के अंदर किये जाते हैं। यदि इस समय–सीमा के अंदर संबंधित सक्षम प्राधिकार द्वारा क्लियरेंस नहीं दिया जाता हैं तो उन उद्यमियों को डीम्ड क्लियरेन्स (Deemed Clearance) देने का प्रावधान है, जो एस.आई.पी.बी. सचिवालय द्वारा निर्गत किया जायेगा। उद्यमी द्वारा स्व–अभिप्रमाणित दास्तावेज मान्य होगा। विहित समय–सीमा के अंदर क्लियरेन्स नहीं देने पर समक्ष प्राधिकार को दण्ड देने का प्रावधान इस अधिनियम में किया गया है। सचिवालय के सदस्य आवेदनों की जाँच करेंगे और संबंधित क्लियरेन्स के लिए ऑनलाइन अनुशंसा संबंधित सक्षम प्राधिकार को करेगें। संबंधित सक्षम प्राधिकार ऐसी अनुशंसा–प्राप्ति के 30 दिनों या संबंधित अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाई गयी नियमावली में विहित समय–सीमा के भीतर जिसके अधीन क्लियरेंस दिया जाना हो, निर्णय लेने के लिए बाध्य होगें। क्लियरेंस की सूचना ऑन–लाईन नियत समय के भीतर सचिवालय को दी जायेगी जिसे निवेशक को उपलब्ध कराया जायेगा। यदि संबंधित विभाग क्लियरेंस देने में या निर्णय लेने में असफल रहता है तो क्लियरेंस दिया गया समझा जायेगा एवं राज्य पर्षद का सचिवालय इससे संबंधित डीम्ड क्लियरेंस निर्गत करेगा।

- राज्य में औद्योगिक निवेश तथा व्यापार को सुगम बनाने के लिए वर्ष, 2016 एवं 2017 में विभिन्न प्रक्षेत्रों यथा–सूचना की उपलब्धता, औद्योगिक विकास को उत्प्रेरित करने के लिए संस्थागत सुदृढ़ीकरण, श्रम संसाधन संबंधी सुधार, पर्यावरण संबंधी सुधार किए गये हैं। निवेशकों को राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् का क्लियरेंस, उद्योग स्थापना/उत्पादन प्रारंभ करने के लिए सभी प्रकार के क्लियरेंस/अनापत्ति प्रमाण–पत्र तथा वित्तीय अनुमोदन प्रदान करने के लिए ऑनलाईन सिंगल विण्डो क्लियरेंस पोर्टल का निर्माण किया गया है तथा उद्योग स्थापना से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा पाँच सीट वाले कॉल सेन्टर की स्थापना की गयी है।

- राज्य में स्थापित होने वाले औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के लिए वर्ष, 2016 में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 लागू की गयी है। नीति के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन, लघु यंत्र विनिर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवायें तथा इलेक्ट्रीकल एवं इलेक्ट्रोनिक्स हार्डवेयर, टेक्सटाईल प्रक्षेत्र, प्लास्टिक एवं रबर प्रक्षेत्र, अक्षय ऊर्जा प्रक्षेत्र, हेल्थ केयर प्रक्षेत्र, चमड़ा प्रक्षेत्र एवं तकनीकी शिक्षा प्रक्षेत्र को उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र में रखा गया है। इस नीति के तहत स्टाम्प ड्यूटी/पंजीकरण शुल्क, भूमि सम्परिवर्त्तन शुल्क की शत् प्रतिशत छूट, ₹20.00 करोड़ तक ब्याज अनुदान तथा कर अनुदान देय है। इन सुधारों के उत्साहबर्द्धक परिणाम मिल रहे हैं।

  नियोजन सृजन के महत्व के मद्देनजर तीन व्यापक प्रक्षेत्रों यथा– आई.टी., आई.टी. समर्थित सेवाएँ तथा ई.एस.डी.एम. प्रक्षेत्र/खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र तथा कपड़ा, पोशाक तथा चमड़ा प्रक्षेत्र को औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 में संशोधन कर उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र रखा गया। उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र के लिए विशेष अनुदान यथा– स्टाम्प ड्यूटी/पंजीकरण शुल्क में छूट, भूमि समपरिवर्त्तन शुल्क में छूट, ब्याज अनुदान, कर अनुदान, नियोजन खर्च सहायता तथा कौशल विकास सहायता का प्रावधान किया गया है।

कारोबार आसान करने के लिए सूचनाओं की उपलब्धता के लिए ''उद्योग संवाद पोर्टल'', औद्योगिक विकास को उत्प्रेरित करने के लिए संस्थागत सुदृढ़ीकरण, श्रम संबंधी सुधार, कर संबंधी सुधार, वातावरण संबंधी सुधार, सिंगल विण्डो क्लियरेंस व्यवस्था, सामान्य आवेदन प्रपत्र का प्रावधान, कार्यक्रम प्रबंधन एजेंसी का प्रावधान एवं बियाडा अधिनियम में सुधार का प्रावधान किया गया है।

हाल के वर्षों में राज्य के अंतर्गत औद्योगिक माहौल में हुए सुधार के कारण उद्योग स्थापित करने हेतु राज्य के साथ–साथ बाहरी उद्यमियों की भी रूचि बढ़ी है। बियाडा को उद्यमियों से लगातार निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। वर्ष 2016 के बाद लगातार कार्यरत औद्योगिक इकाइयों की संख्या में इजाफा हो रहा है।

वृहत एवं मध्यम प्रक्षेत्र

- मे. शिवशिवा स्टील प्रा. लि., नारायण प्लाजा, एक्जिबिशन रोड, पटना द्वारा ₹3023.77 लाख (तीस करोड़ तेईस लाख सतहत्तर हजार रूपए) की लागत के निजी पूँजी निवेश से ग्राम–'रायपुरा, प्रखण्ड–फतुहा, जिला–पटना में 1,20,000 एम. टी. वार्षिक क्षमता का टी. एम. टी. बार एवं क्वॉयल निर्माण ईकाई की स्थापना की गई है। ईकाई कार्यरत है एवं अनुदान दिया जा रहा है।

- मे. ए. सी. एम. ई. मगध सोलर पावर प्रा. लि., गुरूग्राम द्वारा ग्राम–ककवारा, प्रखण्ड एवं जिला– बांका में ₹7155.00 लाख (इकहत्तर करोड़ पचपन लाख रूपए) के निजी पूँजी निवेश 10 मेगावाट क्षमता का सोलर पी0 भी0 प्लान्ट की स्थापना की गई है। इकाई उत्पादनरत है।

- मे. ए. सी. एम. ई. नालन्दा सोलर पावर प्रा. लि., गुरूग्राम द्वारा ग्राम–ककवारा, प्रखण्ड एवं जिला– बांका में ₹10733.00 लाख (एक अरब सात करोड़ तेतीस लाख रूपए) के निजी पूँजी निवेश 15 मेगावाट क्षमता का सोलर पी. भी. प्लान्ट की स्थापना की गई है। इकाई उत्पादनरत है।

- सर्वश्री रिगल रिर्सोसेज प्रा. लि., कोलकाता द्वारा ठाकुरगंज, किशनगंज में कुल ₹6848.45 लाख (अड़सठ करोड़ अड़तालीस लाख पैंतालीस हजार) रूपए की लागत के निजी पूँजी निवेश से उच्च प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत 180 टी.पी.डी. क्षमता का मेज क्रसिंग स्टार्च प्लान्ट की स्थापना की गई है। कार्यरत एवं अनुदान दिया जा रहा है।

- मे. जयदयाल हाईटेक्स प्रा. लि., नदेशर, वाराणसी (उत्तर प्रदेश) के द्वारा मौजा– चिपली, कर्मनाशा, प्रखण्ड– दुर्गावती, जिला– कैमूर (भभुआ) में कुल ₹3688.90 लाख (छत्तीस करोड़ अठासी लाख नब्बे हजार रूपए) के निजी पूँजी निवेश से 4200 मे. टन वार्षिक क्षमता का प्लास्टिक स्टोरेज बैग्स निर्माण ईकाई की स्थापना की गई है। इसमें उत्पादन एवं अनुदान दिया जा रहा है।

- मे. संजीवन राईस मिल्स प्रा. लि., सिक्युरिटी हाउस, 23–बी., एन. एस. रोड, कोलकाता द्वारा ग्राम–बिशनपुर, ब्लॉक–चकाई, जिला– जमुई में कुल ₹3889.30 लाख (अड़तीस करोड़ नवासी लाख तीस हजार रूपए) के निजी पूँजी निवेश 480 टी.पी.डी. क्षमता का आधुनिक पारब्याल्ड राईस मिल की स्थापना की जा रही है जिसके लिए वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस की स्वीकृति प्रदान की गई है।

- मे. सा विष्णु बेकर्स प्रा. लि., कोलकता द्वारा चिलिम, शेरघाटी, गया में कुल ₹3329.55 लाख (तैंतीस करोड़ उनतीस लाख पचपन हजार रुपये) की लागत के निजी पूँजी निवेश से 3000 मे. टन प्रतिवर्ष क्षमता का पोटैटो चिप्स/टकाटक, नमकीन आदि उत्पादन ईकाई की स्थापना की गई है। इसमें उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। अनुदान दी जा रही है।

- मे. फीदरलाइट बिल्डकॉन प्रा. लि., किशनगंज द्वारा भटगाँव, ठाकुरगंज, किशनगंज में कुल ₹2347.33 लाख (तेईस करोड़ सैंतालीस लाख तैंतीस हजार रुपये) की लागत के निजी पूँजी निवेश से 115500 क्यूबीक मीटर क्षमता का ऑटोक्लेव कंक्रीट ब्लॉक / ब्रिक्स उत्पादन ईकाई की स्थापना की गई है। इकाई कार्यरत है एवं अनुदान दिया जा रहा है।

- मे. कृश ह्वाईट ब्रिक्स एल. एल. पी., बख्तियारपुर, पटना द्वारा ₹1895.55 लाख (अठारह करोड़ पंचानबे लाख पचपन हजार रूपए) की लागत के निजी पूँजी निवेश से औटो क्लेव ईरेक्टेट कंक्रीट ब्लॉक्स निर्माण ईकाई की स्थापना की गई है। इसमें उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। कार्यरत एवं अनुदान दिया जा रहा है।

- मे. नारायणी फीड्स प्रा. लि., प. चम्पारण द्वारा ₹1211.60 लाख (बारह करोड़ ग्यारह लाख साठ हजार रूपए) की लागत के निजी पूँजी निवेश से उच्च प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत पॉल्ट्री एवं कैटल फीड्स निर्माण ईकाई एवं गोदाम की स्थापना की गई है। ईकाई में उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। कार्यरत एवं अनुदान दिया जा रहा है।

- मेसर्स आरणा फूड्स प्रा. लि., पटना के द्वारा ₹1259.83 लाख (बारह करोड़ उनसठ लाख तेरासी हजार रूपए) की लागत के निजी पूँजी निवेश से उच्च प्राथमिकता क्षेत्र मक्का प्रसंस्करण के अंतर्गत ग्रीट फ्लोर, फीड निर्माण ईकाई की स्थापना की गई है। ईकाई में उत्पादन प्रारंभ हो चुका है।

- मे. मेडिवर्सल हेल्थकेयर प्रा. लि., गोपालगंज द्वारा ₹2422.55 लाख (चौबीस करोड़ बाईस लाख पचपन हजार रूपए) की लागत के निजी पूँजी निवेश से प्राथमिकता क्षेत्र में 100 शैय्या का मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना हेतु वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेन्स की स्वीकृति प्रदान की गई है।

- मे. देवघर इण्डस्ट्रीज प्रा. लि., जमुई द्वारा ₹1387.64 लाख (तेरह करोड़ सतासी लाख चौंसठ हजार रूपए) की लागत के निजी पूँजी निवेश से प्राथमिकता सूची में राईस मिल की स्थापना की गई है। इकाई कार्यरत है एवं अनुदान दी जा रही है।

- मे. जय माता दी फूड प्रोसेसिंग प्रा. लि., बिहटा, पटना द्वारा ₹1171.00 लाख (ग्यारह करोड़ एकहत्तर लाख रूपए) की लागत के निजी पूँजी निवेश से प्राथमिकता सूची में राईस मिल की स्थापना हेतु वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेन्स की स्वीकृति प्रदान की गई है। इकाई कार्यरत है एवं अनुदान दिया जा रहा है।

- मे. पवित्र एग्रोटेक प्रा. लि., समस्तीपुर द्वारा ₹1447.46 लाख (चौदह करोड़ सैंतालिस लाख छियालिस हजार रूपए) की लागत के निजी पूँजी निवेश से प्राथमिकता सूची में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना हेतु वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेन्स की स्वीकृति प्रदान की गई है।

- मे. त्रिवेणी स्मेल्टर्स प्रा. लि., रायपुरा, फतुहा, पटना द्वारा ₹1181.00 लाख (ग्यारह करोड़ एकासी लाख रूपए) के निजी पूँजी निवेश से बिलेट निर्माण ईकाई की स्थापना की गई है। इसमें उत्पादन प्रारंभ हो चुका है।

लघु उद्यम प्रक्षेत्र

बिहार स्टार्ट–अप नीति , 2017 :

बिहार का कुल जनसंख्या का 65 फीसदी हिस्सा युवाओं का है। बिहार में प्रचुर संसाधन है और यहाँ के युवाओं में वह प्रतिभा है, जो किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सके। उनमें मेहनत का वह जज्बा है, जो हाथ लगाकर मिट्टी को सोना बना दे। बस जरूरत है इस असीम उर्जा को दिशा देने की। इसे मद्देनजर हमने बिहार स्टार्ट–अप नीति को मंजूरी दी है। यह नीति अगले पाँच वर्षों तक प्रभावी होगी। इसके लिए बिहार सरकार द्वारा प्रारंभिक कॉरपस के रूप में पाँच सौ करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है, जिससे युवा उद्यमियों को प्रारंभिक कार्य–कलाप पर होने वाले व्यय, क्षेत्र भ्रमण, शोध, कौशल प्रशिक्षण, विपणन सहायता के रूप में प्रत्येक स्टार्ट–अप के तहत निरीक्षण एवं स्वअभिप्रमाण हेतु पाँच वर्षो के लिए छूट दी गई है। स्टार्ट–अप को राज्य सरकार के विभागों / उपक्रमों / औद्योगिक पार्क / एस.एम.ई. कलस्टर एवं हब में दस प्रतिशत स्थान का निर्धारण किया जायेगा। इस योजनान्तर्गत दिनांक 02.01.2020 तक कुल 11174 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं। जिसमें इन्क्यूबेशन हेतु संबद्ध स्टार्ट–अप की संख्या 1381 हैं। बिहार स्टार्ट–अप फंड ट्रस्ट द्वारा प्रमाणीकृत 70 स्टार्ट–अप में से 60 स्टार्ट–अप को प्रथम किस्त के रूप में 155.41 लाख, 40 स्टार्ट–अप को द्वितीय किस्त के रूप में 224.23 लाख अर्थात कुल 379.64 लाख का भुगतान किया गया है।

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति , 2016 :

हमारा राज्य कृषि प्रधान राज्य है। राज्य के लगभग 74 प्रतिशत लोग आजीविका के लिए कृषि कार्य पर निर्भर है। कृषि के बाद उद्योग ऐसा दूसरा क्षेत्र है, जिसके माध्यम से राज्य में बेरोजगारी की समस्या का हल और तेजी से आर्थिक विकास संभव है। इसलिए हमने उद्योगों की स्थापना हेतु प्रत्येक स्तर पर निवेशकों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान की है। राज्य का हर युवा उद्यमी बने, सरकार का यह प्रयास है। बिहार में विपुल मात्रा में उपलब्ध प्राकृतिक एवं मानव संसाधनों का उचित उपयोग कर राज्य में त्वरित औद्योगिक विकास के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 लागू की गई है। इस नीति में राज्य एवं राज्य के बाहर से पूंजी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से कृषि, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, चर्म उद्योग, स्वास्थ्य, गैर परम्परागत उर्जा, प्लास्टिक एवं रबर उद्योग, तकनीकी शिक्षा एवं सूचना प्रावैधिकी उद्योग के विकास पर विशेष जोर दिया गया है और औद्योगिक भूमि / शेड के लीज बिक्री / अंतरण पर स्टाम्प ड्यूटी / निबंधन शुल्क एवं भूमि समपरिवर्तन शुल्क की प्रतिपूर्ति, विद्युत शुल्क पर शत–प्रतिशत प्रतिपूर्ति, परियोजना ब्याज अनुदान और कर से संबंधित अनुदान का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति / जनजाति, महिला, वार विडो, एसिड अटैक एवं दिव्यांग उद्यमियों के लिए अतिरिक्त 15 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान किया गया है।

राज्य में निवेश में प्रोत्साहन को सहज बनाने के उद्देश्य से हमने विकास आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य निवेश प्रोत्साहन विधेयक, 2016 का गठन किया है। इसके तहत निवेश प्रस्ताव पर 30 दिनों के अन्दर निर्णय लेना बाध्यकारी कर दिया गया है। इस विधेयक में आवेदन द्वारा स्वयं अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से क्लियरेंस से संबंधित दस्तावेजों के स्वसत्यापन का प्रावधान है। यदि समय सीमा के अंदर संबंधित विभाग द्वारा क्लियरेंस नहीं दिया जाता है तो इसमें दंड का भी प्रावधान है।

राज्य निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 लागू होने के पश्चात् राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् में 06.02.2020 तक की अद्यतन स्थिति :–

राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद से अनुमोदन हेतु ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की संख्या	1399
राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद से Stage-I क्लियरेंस सहमति प्राप्त प्रस्तावों की संख्याः	1214
राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद से सहमति प्राप्त प्रस्तावों में प्रस्तावित पूँजी निवेशः	16686.19 (करोड़ रू.)
वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस हेतु प्राप्त प्रस्ताव की संख्या	407
वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस प्राप्त प्रस्तावों में प्रस्तावित पूँजी निवेश की राशि	2388.93 (करोड़ रू.)
कार्यरत इकाइयों की संख्या	210
कार्यरत इकाइयों में निवेशित कुल राशि	1584.21 (करोड़ रू.)
कार्यरत इकाइयों में नियोजन	5410
बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति–2016 के अंतर्गत विमुक्त की गयी अनुदान	राशि106.52 (करोड़ रू.)

सेक्टर वाइज इकाइयों की स्थिति

सेक्टर	स्टेज–1 क्लियरेंस		कार्यरत ईकाई	
	संख्या	निवेश (करोड़ रू.)	संख्या	निवेश (करोड रु.)
खाद्य प्रसंस्करण	551	3486.08	102	568.20
सामान्य विनिर्माण	202	1607.19	53	706.10
ऊर्जा	15	5959.31	02	108.88
लघु यंत्र	15	110.14	01	2.02
प्लास्टिक एवं रबड़	135	436.89	19	53.03
टेक्सटाईल	24	71.23	01	1.15
सूचना प्रोद्योगिकी	13	40.54	09	22.92
पर्यटन	36	437.98	06	36.34
तकनीकी संस्थान	10	62.03	0	0
हेल्थ केयर	26	351.18	12	77.38
प्राईवेट इण्डस्ट्रीयल पार्क	02	679.52	0	0
सीमेन्ट	06	1235.45	0	0
चीनी मिल (विस्तार)	04	1198.22	0	0
अन्य	153	854.69	0	0
कुल	1192	16530.45	205	1576.02

औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2011/2016 तथा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति–2016 :

वित्तीय वर्ष 2019–2020 में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 तथा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के तहत राज्य के औद्योगिक इकाइयों को देय सुविधाओं की प्रतिपूर्ति हेतु 17020.00 लाख़ (एक सौ सत्तर करोड़ बीस लाख रूपए मात्र) की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना :

यह योजना पूर्णरूपेण ऑन–लाईन हैं जिसकी वजह से उद्यमी घर बैठे इस योजना के लिए आवेदन दे सकते हैं। इस योजना में लघु एवं सूक्ष्म उद्योग के लगभग 102 आईटम/उत्पाद को रखा गया है। इस योजना के अन्तर्गत संबंधित प्रक्षेत्र के युवा एवं युवतियों को कुल परियोजना लागत (प्रति इकाई) का 50 प्रतिशत अधिकतम ₹5.00 लाख विशेष प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत अनुदान/सब्सिडी तथा 50.00 प्रतिशत अधिकतम ₹5.00 लाख ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त सभी लाभुकों के प्रशिक्षण एवं परियोजना अनुश्रवण समिति (PMA) सहायता के लिए प्रति इकाई ₹25,000 की दर से व्यय किये जाने का प्रावधान है। इस योजना का कार्यान्वयन बिहार स्टार्ट–अप फंड ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के तहत 84 समान मासिक किस्तों में ब्याज मुक्त ऋण की वसूली किये जाने की प्रावधान है। इस योजना अंतर्गत अबतक 45631 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 4868 आवेदनों को चयनित किया गया है। इस योजना अंतर्गत चयनित आवेदकों में से 3641 लाभुकों को प्रथम किस्त, द्वितीय किस्त 134 एवं तृतीय किस्त 11 अभ्यर्थियों को दिया जा चुका है, अर्थात कुल ₹109.00 करोड़ वित्तरित किये जा चुके है।

राज्य में अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की स्थिति अच्छी नहीं रहने के कारण उनका उन्नयन इस वर्ग के युवा एवं युवतियों को बिना उद्यमी बनाये संभव नहीं हो सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना में संशोधन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।

अतः उक्त के आलोक में अति पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को उद्योग स्थापित करने में अभिरूचि पैदा करने के उद्देश्य से इस योजना का लाभ अति पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को देने हेतु मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना की स्वीकृति संबंधी निर्गत संकल्प ज्ञापांक 782 दिनांक 17.05.2018 को संशोधित करते हुए संकल्प ज्ञापांक 204 दिनांक 04.02.2020 द्वारा अति पिछड़ा वर्ग को भी शामिल किया गया है।

मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग कलस्टर विकास योजना :

मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग कलस्टर विकास योजनांतर्गत कुल 8 कलस्टरों में सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना हेतु तैयार डी.पी.आर. पर राज्य स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है जिसके अन्तर्गत अबतक 07 कलस्टरों यथाः–राईस मिल कलस्टर –लखीसराय, मेनमेहसी सीप बटन कलस्टर–पूर्वी चम्पारण, बथना सीप बटन कलस्टर–पूर्वी चम्पारण, सिलाव खाजा कलस्टर–नालन्दा, कन्हैयागंज झूला कलस्टर–नालन्दा, काँसा–पीतल कलस्टर–वैशाली एवं काँसा–पीतल कलस्टर–पश्चिमी चम्पारण में सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना के लिए ₹2125.28 लाख मात्र की विमुक्ति की गई है। टेक्सटाईल अपैरल पार्क की स्थापना बिहटा–पटना तथा लेदर गुड्स कॉम्प्लेक्स की स्थापना मुजफ्फरपुर में प्रस्तावित है। मखाना कलस्टर–सुपौल, सेनेटरी पैड कलस्टर, लोदीपुर, सबौर–भागलपुर, एल.ई.डी. बल्ब कलस्टर एवं स्टील फर्नीचर कलस्टर, पटना सीटी–पटना का DSR पर राज्य स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।

निवेश आयुक्त कार्यालय :

निवेश आयुक्त कार्यालय के प्रयास से बिहार में माह जनवरी, 2020 तक कुल ₹914.00 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2017–18 में ₹492.00 करोड़, वित्तीय वर्ष 2018–19 में ₹342.00 करोड़ एवं 2019–20 में ₹80.00 करोड़) का On Ground पूंजी निवेश हुआ है, जिसमें कुल 2325 लोगों को सीधे नियोजन प्राप्त हुआ है, जिसके अन्तर्गत महत्वपूर्ण निवेश निम्नवत है:

1.	M/S Tata Memorial Hospital	₹ 192.00 करोड़
2.	M/S Shree Cements Ltd.	₹ 300.00 करोड़
3.	M/S Britania Industries Ltd.	₹ 206.00 करोड़
4.	M/S Abis Exports (India) Pvt. Ltd.	₹ 125.00 करोड़
5.	M/S Digital Pvt. Ltd.	₹ 80.00 करोड़

₹54678.00 करोड़ का निवेश पाइपलाइन में है तथा जिसमें 35555 लोगों के नियोजित होने की संभावना है। इसके अन्तर्गत कुछ बड़े निवेशक निम्नवत् है:–

1.	M/S Shree Cements Ltd.	₹ 600.00 करोड़
2.	M/S Shyam Metals Ltd.	₹ 3400.00 करोड़

वर्त्तमान में यह कार्यालय बड़े निवेशों के लिए Promotion, Facilitation तथा After Care का कार्य कर रहा है।

इसके अलावे मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष योजना का क्रियान्वयन निवेश आयुक्त कार्यालय, मुम्बई, उद्योग विभाग, बिहार द्वारा किया जा रहा है।

खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय :

खाद्य प्रसंस्करण की समेकित विकास योजनान्तर्गत जनवरी, 2019 से अगस्त, 2019 तक कुल 413 इकाइयों को पी. ए.एम.सी. की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसकी कुल परियोजना लागत ₹474399.35 लाख है तथा कुल स्वीकृत अनुदान ₹94081.09 लाख है। कुल 325 इकाइयों को अनुदान स्वरूप ₹64570.00 लाख विमुक्त की गयी है। कुल 336 इकाइयों उत्पादनरत हैं। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप में कुल 49200 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है।

यह योजना 30.06.2016 को समाप्त हो गयी है। वर्त्तमान में खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय अन्तर्गत अनुमोदित परियोजनाओं के लंबित दावों का निष्पादन किया जा रहा है।

फैसिलिटेशन कॉन्सिल :

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अंतर्गत उद्योग निदेशक, बिहार, पटना की अध्यक्षता में सूक्ष्म लघु उद्यम फैसिलिटेशन कॉन्सिल गठित है, जिसके समक्ष आपूर्त्तिकर्त्ता इकाइयों के लंबित भुगतान के मामलों पर सुनवाई की जाती है एवं उभय पक्षों को सुनकर आवश्यक निर्देश एवं आदेश पारित किया जाता है। विलंबित भुगतान के लिए क्रेता को रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित बैंक दर का तिगुना चक्रवृद्धि ब्याज का भी भुगतान करने का प्रावधान

है जिसकी गणना मासिक की जानी है। इस वर्ष दिनांक–31.12.19 तक कॉन्सिल की बैठक में कुल 49 आपूर्त्तिकर्त्ताओं इकाइयों के लंबित राशि के भुगतान से संबंधित मामलों पर सुनवाई की गई।

उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान की योजना का सुदृढ़ीकरण :

उद्योग विभाग, बिहार सरकार के अधीनस्थ उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना के माध्यम से राज्य में हस्तशिल्प के विभिन्न विधाओं का विकास, प्रशिक्षण, प्रचार–प्रसार, विपणन, अनुरक्षण, नये–नये नमूनों के डिजाइन का निर्माण, उच्च प्रशिक्षण हेतु राज्य के शिल्पियों को राज्य से बाहर अध्ययन, प्रशिक्षण एवं शोध हेतु संस्थान द्वारा हस्तशिल्प के प्रक्षेत्र में निम्नांकित विकास योजनाएँ विगत वर्षों से चलाई जा रही है :

- **डिजाइन एवं तकनीकी विकास कार्यशाला:** वर्त्तमान युग में भूमंडलीकरण और बाजारवाद का है। इसमें वर्चस्व उसी को प्राप्त होता है जो सर्वाधिक प्रभावशाली हो। उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना की ओर से राज्य के शिल्पियों को बाजार की मांग के अनुरूप नये–नये डिजाइन की ट्रेनिंग हेतु डिजाइन एवं तकनीकी विकास कार्यशाला का आयोजन राज्य के 45 स्थलों पर भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय के IDPH योजनान्तर्गत किया जा रहा है।
- **राज्य पुरस्कार चयन हेतु प्रतियोगिता:** संस्थान द्वारा प्रत्येक वर्ष हस्तशिल्प प्रक्षेत्र में कार्यरत शिल्पियों को राज्य पुस्कार से पुरस्कृत करने हेतु प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिसमें राज्य के सैकड़ों शिल्पी प्रतियोगिता स्थल पर ही 09 दिनों तक रहकर नमूनों का निर्माण करते हैं और उन नमूनों में से 20 नमूनों को राष्ट्रीय स्तर के शिल्पकारों की निर्णायक समिति द्वारा स्टेट एवार्ड के लिए चुना जाता है।
- **मेला/प्रदर्शनी/समारोह:** बिहार हस्तशिल्पियों को बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संस्थान के द्वारा राज्य के विभिन्न जिला में मेला/प्रदर्शनी/समारोह का आयोजन किया जाता है। जिसमें राज्य के शिल्पियों को निःशुल्क स्टॉल आवंटित कर उनको लाभान्वित किया जाता है। साथ ही राज्य के उत्कृष्ट हस्तशिल्प के विरासत से रू–ब–रू कराया जाता है।
- **सामान्य सुविधा केन्द्र:** भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय के IDPH योजनान्तर्गत राज्य के पंद्रह स्थलों पर 15 करोड़ की लागत से हस्तशिल्प के क्षेत्र में कार्यरत शिल्पियों हेतु सामान्य सुविधा केन्द्र का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें शिल्पियों के उपयोग हेतु सारी सुविधाएँ उपलब्ध रहेगी।

राज्य स्तरीय मेला एवं प्रदर्शनी :

- प्रत्येक वर्ष राज्य के उद्यमियों/लघु उद्योगों/शिल्पियों/बुनकरों को एक मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उद्योग विभाग द्वारा मेला एवं प्रर्दशनी आयोजित किया जाता है, जो औद्योगिक विकास हेतु उनके उत्पादों को बढ़ावा देने का एक प्रमुख साधन है।
- राज्य के ऐतिहासिक स्थान यथा हरिहर क्षेत्र मेला, श्री उग्रतारा सांस्कृतिक महोत्सव, सहरसा एवं बिहार महिला उद्योग संघ द्वारा आयोजित महिला उद्योग मेला में जिसके माध्यम से राज्य के हस्तशिल्प बुनकरों एवं शिल्पकारों को निःशुल्क स्टॉल का आवंटन कर उनके उत्पादों के बिक्री/प्रदर्शनी का अवसर दिया गया। बिहार महिला उद्योग संघ द्वारा दिनांक 14–18 सितम्बर, 2019 तक ज्ञान भवन, पटना में आयोजित होने वाले हैण्डीक्राफ्ट/हैण्डलूम उत्पादों की प्रदर्शनी–सह–बिक्री हेतु उद्योग विभाग की ओर से 80 स्टॉल निःशुल्क दिया गया।

भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला :

यह आयोजन राज्य के विकास योजनाओं के साथ–साथ विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति के प्रस्तुतीकरण हेतु एक लाभकारी योजना है।

वर्ष, 2019 के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का थीम –"Ease of Doing Business" के अनुरूप बिहार मंडप के बाहरी एवं भीतरी भाग की भव्य सजावट मधुबनी पेंटिंग, मंजूषा पेंटिंग, टिकुली कला एवं टेराकोटा शिल्प से की गई थी, जो काफी आकर्षक था।

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (14–27 नवम्बर, 2019) में बिहार मंडप में इस बार विभाग द्वारा 12–हैण्डलूम एवं 11– हैण्डीक्राफ्ट्स में हैण्डलूम एवं हस्तशिल्प उत्पादित सामानों की बिक्री–सह–प्रदर्शनी का भी सफल आयोजन किया गया। हस्तशिल्पियों द्वारा एक जीवंत प्रदर्शनी प्रस्तुत की गयी, जहाँ पर आगुन्तकों की काफी भीड़ थी। इस मेले में वर्ष 2019 में भी बिहार मंडप को स्वर्ण पदक से नवाजा गया। पिछले 39 वर्षों से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में हो रहे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में बिहार को 2014, 2015, 2016 एवं 2018 में भी गोल्ड मेडल से पुरस्कृत किया गया था।

उद्योग मित्र :

उद्योग मित्र सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट–21, 1860 के अन्तर्गत निबंधित, पूर्णरूपेण उद्योग विभाग, बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन, पूर्णतः राज्य सरकार के अनुदान पर एवं बिना लाभ हानि के चलित कार्यालय है। उद्योग मित्र का मुख्य उद्देश्य आगन्तुक उद्यमियों को उद्योग स्थापित/विस्तार करने हेतु आवश्यक सलाह, वांछित प्रोजेक्ट प्रोफाइल/आँकड़े/सूचनायें आदि सुलभ ढंग से उपलब्ध कराना एवं इस क्रम में आने वाली विभिन्न समस्याओं के निराकरण में सकारात्मक सहयोग करना है।

उद्योग मित्र द्वारा समय–समय पर औद्योगिक विषयों पर सेमिनार, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर तथा औद्योगिक योजनाओं से संबंधित ब्रोशर/पुस्तिका आदि प्रकाशित कर राज्य के उद्यमियों, योजनाकारों, शोधकर्त्ताओं आदि को मदद करना है।

कौशल विकास कार्यक्रम :

कौशल विकास कार्यक्रम के तहत प्रत्येक वर्ष लगभग 15000 युवकों/युवतियों को रोजगार हेतु विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षित करना है। प्रशिक्षण बिहार कौशल विकास मिशन (बी0एस0डी0एम0) के गाईडलाईन के अनुसार उनके अनुमोदित प्रशिक्षण केन्द्रों तथा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार संचालित होता है। उद्योग विभाग द्वारा जिन प्रमुख प्रशिक्षण केन्द्रों से कौशल विकास का प्रशिक्षण संचालित कराया जाता है उनमें प्रमुख सीपेट–हाजीपुर, टूल रूम ट्रेनिंग सेन्टर (टी0आर0टी0सी)– पटना, फुट वियर डिजाइन एवं डेवलपमेन्ट संस्थान (एफ0डी0डी0आई0), सेन्ट्रल फुट वियर ट्रेनिंग इन्सटीच्युट (सी0एफ0टी0आई0)– आगरा तथा राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रवैधिकी संस्थान (एन0आई0ई0एल0आई0टी0)–बिहटा शामिल है। प्रशिक्षण, प्लास्टिक प्रोसेसिंग, मैनुफैक्चरिंग, सी0 एन0 सी0 लेथ/मिलिंग, एडवांस बेल्डिंग, परिधान (वस्त्र) निर्माण, फुट वियर तथा एल0 ई0 डी0 सोलर लाईट/पंप आदि विषयों में दिया जा रहा है। प्रशिक्षण आवासीय/गैर–आवासीय है। प्रशिक्षण के पश्चात् लगभग 70–80 प्रतिशत् प्रशिक्षणार्थियों को नियोजित कराया जाता है। अबतक 3010 युवक/युवतियों को विभिन्न ट्रेडों में कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम :

प्रधानमंत्री रोजगार सजृन कार्यक्रम अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में राज्य के भौतिक लक्ष्य 4943 एवं वित्तीय लक्ष्य (मार्जिन मनी) ₹14828.00 लाख के विरूद्ध बैंकों के माध्यम से अबतक 1261 आवेदकों के बीच ₹3878.62 लाख मार्जिन मनी (अनुदान) के रूप वितरित की गयी है।

हस्तकरघा प्रक्षेत्र (राज्य प्रायोजित) :

राने हैण्डलूम को 68 ईंच करघा में परिवर्तित करने की योजना– वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य के हस्तकरघा बुनकरों के पुराने लूम को 68 ईंच फ्रेम लूम (टेकअप मोशन सहित)/इससे अधिक चौड़ाई के फ्रेम लूम (टेकअप मोशन सहित) में परिवर्तित करने के निमित्त 44.82 लाख (चौवालीस लाख बेरासी हजार) की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसमें 46 बुनकर लाभान्वित हुए है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में ₹49.95 लाख स्वीकृति प्रदान की गई है।

सूत आपूर्ति की योजना– कार्यशील पूँजी के अभाव में बुनकरों द्वारा ससमय सूत का क्रय नहीं होने के कारण उनके द्वारा माँग के अनुरूप वस्त्र तैयार करने में कठिनाई होती है जिसके लिए यह व्यवस्था की गयी है। इस व्यवस्था के तहत मात्र 10% अग्रिम एवं 45 दिनों के क्रेडिट बेसिस पर सूत की आपूर्ति राज्य के हस्तकरघा/ऊलेन शीर्ष/क्षेत्रीय सहकारी संघ को राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एन0एच0डी0सी0) के ई–धागा पोर्टल/ई0आर0पी0 सिस्टम के माध्यम से किया जाता है। एन0एच0डी0 सी0लि0, कोलकाता द्वारा आवेदक एजेंसी को माँग के अनुसार उचित/प्रतिस्पर्धित दर पर गुणवत्तायुक्त सूत की आपूर्ति किया जा रहा है। वर्ष 2018–19 में 86.42 लाख मूल्य के सूत की आपूर्ति लाभुक एजेंसी को किया गया है। NHDC को एक करोड़ रूपये गारन्टी के रूप में उपलब्ध कराया गया है।

हैण्डलूम मार्क निबंधन की योजना– हैण्डलूम मार्क न केवल हाथ से बने वस्त्रों को लोकप्रिय करने में बल्कि खरीददार के लिए इस बात की गारंटी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है कि जो उत्पाद वह खरीद रहा है वह वास्तव में हाथ से बुना गया है। इस मार्क से उत्पाद एवं निर्माता के नाम की स्पष्ट पहचान होगी।

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य के सभी यू0आई0डी0 उत्कीर्ण हस्तकरघा के धारक बुनकरों एवं प्राथमिक बुनकर सहयेाग समितियों/क्षेत्रीय हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ को हैण्डलूम मार्क से निबंधित कराने की योजना के तहत् कुल 15.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है। योजनान्तर्गत 612 व्यक्तिगत बुनकर, 92 सहकारी समितियाँ एवं दो शीर्ष संघ निबंधित हो चुके हैं।

- **हस्तकरघा बुनकरों को कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराने की योजना–** वित्तीय वर्ष 2018–19 में हस्तकरघा पर यू0आई0डी0 (UID) उत्कीर्ण लूम धारकों को ₹10,000.00 (दस हजार) प्रति बुनकर कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराने हेतु ₹6,72,70,000.00 (छः करोड़ बहत्तर लाख सत्तर हजार) मात्र की स्वीकृति तथा इसमें प्रथम चरण में ₹6,66,00,000.00 (छः करोड़ छियासठ लाख) की विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की गयी है। यह लाभ यू0आई0डी0 उत्कीर्ण पाटी लूम धारक कम्बल बुनकरों को भी मिल रहा है। अब तक योजनान्तर्गत 4246 बुनकरों को लाभान्वित किया गया है। जिसमें ₹4.2460 करोड़ (चार करोड़ चौबीस लाख साठ हजार) व्यय किया गया है।

  साथ ही वित्तीय वर्ष 2019–20 में हस्तकरघा पर यू0आई0डी0 (UID) उत्कीर्ण लूम धारकों को ₹10,000.00 (दस हजार) प्रति बुनकर कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराने हेतु ₹6,70,000.00 (छः लाख सत्तर हजार) मात्र की विमुक्ति की स्वीकृति भागलपुर एवं बांका जिले के लिए प्रदान की गयी है।

(केन्द्र प्रायोजित)

1. **प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना–** प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अन्तर्गत किसी भी कारण से मृत्यु होने पर बीमित व्यक्ति को 2.00 लाख जीवन बीमा कवर प्रदान करती है। इसके अन्तर्गत पात्र बीमित हस्तकरघा बुनकर का अंशदान 80.00 (अस्सी) का राज्य के बुनकर कल्याण कोष से भुगतान किया जा रहा है। 787 बुनकरों को बीमा कवर प्रदान किया गया है।

(विद्युतकरघा प्रक्षेत्र)

गया जिला स्थित सभी पावरलूम (लगभग 900) को बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा स्थापित नियमों का पालन करने हेतु बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् को जमा किये गये शुल्क के 60% राशि की प्रतिपूर्ति एवं इस पर होने वाले अन्य व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में इस योजनान्तर्गत 100.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है, ताकि पावर लूम उद्योग बन्द होने के कगार से वंचित हो सके तथा बुनकरों का रोजी रोजगार बरकरार रहे। 75 विद्युतकरघा इकाइयाँ लाभ प्राप्त कर चूकी है। प्रति विद्युतकरघा इकाई को 6900.00 का लाभ प्राप्त हुआ है।

विद्युत करघा बुनकरों को विद्युत अनुदान : विद्युत करघा पर वस्त्र बुनाई के लिए बिजली खपत पर ₹3.00 प्रति यूनिट की दर से विद्युत अनुदान उपलब्ध कराई जा रही है। अनुदान राशि की प्रतिपूर्ति विद्युत करघा बुनकरों को करने के बजाय, लाभुकों को सीधे विद्युत विपत्र में ₹3.00 प्रति यूनिट की दर से काटकर विद्युत विपत्र ऊर्जा विभाग द्वारा भेजी जाती है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में इस योजनान्तर्गत ₹344.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसके तहत 861 विद्युत करघा इकाइयों को अनुदान दिया गया है।

मलवरी विकास परियोजना :

राज्य में मलवरी विकास की संभावनाओं को देखते हुए सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णियाँ, अररिया, किशनगंज एवं कटिहार जिलों में जीविका के सहयोग से मलवरी विकास कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। मलवरी की आधा एकड़ खेती के लिए मनरेगा निधि से किसानों को 35268.00 एवं अगले दो वर्ष रख–रखाव के लिए 17700.00 की आर्थिक सहायता दी जा रही है। राज्य योजना मद से लाभुकों को सिंचाई व्यवस्था विकसित करने के लिए 5 लाभुकों के समूह में 46875.00 का डीजल पंपसेट एवं अनुषंगी सामग्री, प्रति लाभुक 18750.00 का कीटपालन उपस्कर उपलब्ध कराया जाता है। उन्हें कीटपालन घर बनाने के लिए 60,000.00 की राशि लाभुकों के खाते में हस्तांतरित की जाती है। लाभुकों को प्रशिक्षण, अध्ययन भ्रमण की भी व्यवस्था है। किसानों द्वारा उत्पादित मलवरी ग्रीन कोए का लाभकारी मूल्य पर विपणन सुनिश्चित करने के लिए कोए के ग्रेड A, B, C & D के अनुसार 350/–, 300/–, 250/– एवं 150/– प्रति किलो न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया गया है। मलवरी उत्पादक समुह द्वारा लाभुकों से उत्पादित सारे ककून क्रय कर लिए जायेगें और इससे सूत एवं वस्त्र का उत्पादन कराया जायेगा। इसकी पूरी जिम्मेवारी जीविका की होगी। किशनगंज स्थित रीलिंग यूनिट को जीविका के माध्यम से चालू करने पर कार्य किया जा रहा है। इससे राज्य में उत्पादित मलवरी कोए का स्थानीय स्तर पर सूत उत्पादन हो सकेगा।

वर्तमान में 6360 किसानों का चयन किया गया है। कुल 4706 किसानों द्वारा अबतक 2353 एकड़ में शहतूत की खेती की गई है। 1975 लाभुकों को सिंचाई सुविधा, 3103 लाभुकों को कीटपालन उपस्कर उपलब्ध कराया गया है। 963 लाभुकों को कीटपालन घर बनाने के लिए सहायता दी गई है। वर्ष 2018–19 में 97500 रोग मुक्त चकत्ते का कीटपालन कर लगभग 19.00 मि0टन मलवरी कोए का उत्पादन किया गया है। 13 नोडल सेंटर की मरम्मती करा लिया गया है।

तसर विकास परियोजना :

बांका, मुंगेर, नवादा, कैमूर, जमूई आदि जिलों में तसर विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वर्तमान में 5434 परिवार इस उद्योग में लगे हुए हैं। वर्ष 2018–19 में राज्य में 38.39 मि0टन तसर रॉ सिल्क का उत्पादन हुआ है।

मुख्यमंत्री तसर विकास परियोजना (2012–17) के तहत 3416 हेक्टर निजी भूखंड एवं 6120 हेक्टर वन भूमि पर तसर पौधे लगाये गये हैं। तसर सूत उत्पादन के लिए बांका में 6 CFC स्थापित किया गया है। अग्र परियोजना केन्द्र, इनारवरण कटोरिया, बांका एवं श्यामबाजार, बांका में प्रशासनिक भवन एवं 5 बीजागार भवन का निर्माण हो चुका है। दो ककून बैंक स्थापित किया जा रहा है। वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये 2860 लाभुकों को प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अतिरिक्त वर्तमान वर्ष में 266 व्यक्तियों को तसर कीटपालन प्रशिक्षण दिया गया है।

थाई रीलिंग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत बांका एवं भागलपुर के 661 थाई रीलरों को बुनियाद मशीन निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है। इन्हें प्रशिक्षण भी दिया गया है।

अण्डी :

बेगूसराय जिले में अण्डी रेशम का उत्पादन होता है। वर्तमान में 1373 परिवार इस उद्योग से जुड़े हैं। वर्ष 2018–19 में 8.73 मि.टन अण्डी सूत का उत्पादन हुआ है। मुजफ्फरपुर जिले में 105 व्यक्तियों को अण्डी की खेती एवं कीटपालन का प्रशिक्षण दिया गया है। उन्हें कीटपालन घर बनाने के लिए दो किस्तों में 70,000/– की सहायता प्रत्येक लाभुकों को दी गई है। सभी लाभुकों को कीटपालन उपस्कर उपलब्ध कराया गया है। वर्ष 2019–20 में 200 लाभुकों को 15 दिन का अण्डी रेशम कीटपालन प्रशिक्षण दिया गया है।

हस्तकरघा एवं रेशम भवन :

रेशम नगरी, भागलपुर में 1364.00 लाख की लागत से हस्तकरघा एवं रेशम भवन का निर्माण बिहार राज्य भवन निर्माण निगम से कराया जा रहा है।

इस प्रकार राज्य में रेशम विकास के माध्यम से ग्रामीण आबादी को स्थानीय रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किया जा रहा है।

खादी :

बिहार राज्य में अवस्थित खादी ग्रामोद्योग संस्था/समिति के लिए बिहार सरकार द्वारा खादी पुनरूद्धार योजना लागू की गई है। बिहार में खादी तथा ग्राम स्वराज्य की कल्पना को आगे बढ़ाने के लिए इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में विशेष तौर पर महिलाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार एवं अन्य नये अवसर सृजित किये जा रहे हैं, तथा खादी के नई तकनीकी को अपनाकर राज्य के बुनकरों एवं कारीगरों के पलायन को रोका जा रहा है। इसके साथ ही खादी वस्त्र के उत्पादन एवं बिक्री की क्षमता को बढ़ाकर खादी संस्था/समितियों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। इसके तहत खादी संस्था/समितियों को निम्न प्रकार के लाभ दिये जा रहे हैं :

आधुनिक चरखा का वितरण : खादी संस्था/समितियों को 1000 नग त्रिपुरारि मॉडल चरखा तथा 998 नग आधुनिक चरखा कुल 1998 नग चरखा उपलब्ध कराया गया है।

कटिया चरखा का वितरण : भागलपुर एवं कुछ अन्य जिलों में जिन खादी संस्थाओं द्वारा रेशम के वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। उन संस्थाओं के मांग पर 930 नग कटिया चरखा उपलब्ध कराया गया है।

आधुनिक लूम का वितरण : खादी पुनरूद्धार योजना के अन्तर्गत बिहार स्थित खादी संस्थाओं को 303 करघा क्रय

वास्ते 90% अनुदान पर राशि उपलब्ध करायी गई है। प्रत्येक 05 चरखा पर 01 करघा संस्थाओं को दिया जा रहा है।

कार्यशील पूँजी: खादी संस्थाओं को अपना कार्य सूचारू रूप से चलाने तथा कच्चामाल एवं कतिनों/बुनकरों को समय पर पारिश्रमिक देने हेतु कार्यशील पूँजी मात्र 4% के ब्याज पर ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है।

प्रशिक्षण: आधुनिक एवं उन्नत चरखा तथा लूम के संचालन हेतु कतिन एवं बुनकरों को नये डिजाइन का प्रशिक्षण देकर बाजार की मांग के अनुरूप खादी वस्त्रों का उत्पादन किया जा रहा है। खादी वस्त्रों की डिजाइन एवं गुणवत्ता में वृद्धि की जा रही है।

बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना के माध्यम से 374 कतिनों को सुत कताई एवं 125 बुनकरों को वस्त्र बुनाई का प्रशिक्षण दिया गया है।

मुजफ्फरपुर एवं मधुबनी जिला में स्थित 04 खादी संस्था/समितियों को बोर्ड द्वारा साबुन मशीनरी क्रय करने हेतु राशि उपलब्ध करायी गई है। संस्थाओं द्वारा मशीन क्रय कर स्थापित कर लिया गया है, जिसपर उत्पादन कार्य प्रारंभ हो गया है। उनके द्वारा उत्पादित साबुन को खादी मॉल में बिक्री हेतु रखा गया है।

मार्केटिंग: बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना के माध्यम से बिहार के खादी संस्थाओं को मार्केटिंग की सुविधा राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाती है। इसके तहत खादी की बिक्री एवं प्रचार–प्रसार के लिए खादी मेला–सह–प्रदर्शनी आयोजित की जाती है, जिससे खादी वस्त्रों की बिक्री में काफी वृद्धि हुई है।

खादी संस्थाओं को बाजार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय खादी महोत्सव का आयोजन गत वर्ष ज्ञान भवन, गाँधी मैदान, पटना में किया गया। इसमें राज्य के खादी संस्थाओं के अलावा दूसरे राज्य की खादी संस्थाओं द्वारा भाग लिया गया।

बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा खादी के प्रचार–प्रसार हेतु अन्य राज्यों जैसे कोच्चि (केरल), सेलम (तमिलनाडू) एवं मुम्बई (महाराष्ट्र) में बिहार खादी उत्पादित वस्त्रों की बिक्री को बढ़ावा देने तथा Buyer Seller Meet मेला/प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है।

खादी का ऑनलाईन मार्केटिंग: Amazon India में खादी का Online Marketing किया जा रहा है। Amazon India के बेवसाइट पर 20 डिजाइन डाला गया है, जिसका Online Marketing हो रहा है। इसके लिए खादी बोर्ड एवं Amazon India के बीच एक एकरारनामा भी किया गया है। Flipkart से Online बिक्री प्रारंभ हो गई है।

खादी वस्त्रों की बिक्री हेतु रेमण्ड इण्डिया के साथ खादी बोर्ड का एकरारनामा किया गया है। रेमण्ड इण्डिया द्वारा बिहार के खादी संस्थाओं को 29500 मीटर खादी वस्त्र का आदेश दिया गया है, जिसे रेमण्ड इण्डिया को भेजा गया है।

Project Management Unit:

(i) **Baseline Survey:-** खादी बोर्ड के PMA Grant Thornton India LLP द्वारा बिहार में स्थित सभी खादी संस्था/समितियों का Baseline Survey एवं Diagnostic Study Report किया गया तथा इससे संबंधित प्रतिवेदन बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को दिया गया। Baseline Survey के अनुसार बिहार में कुल 93 खादी संस्थाएँ हैं, जो भारत सरकार के खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) द्वारा निबंधित है। 71 संस्थाएँ कार्यरत हैं, 12 मृतप्रायः एवं 10 अकार्यरत (Inactive) है। वर्त्तमान में इन संस्थाओं में 8,011 कतिन (Spinners) एवं 1,030 बुनकर (Weavers) कार्यरत हैं। बिहार के खादी संस्था/समितियों के पास कुल 2,854 न्यू मॉडल चरखा 1,218 कटिया चरखा 706 पीट लूम एवं 215 मॉडर्न लूम हैं। PMA द्वारा ये परामर्श

दिया गया कि खादी संस्थाओं के Skill & Technologies up gradation की जरूरत है। इन संस्थाओं द्वारा उत्पादित खादी सामग्री की राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मार्केट से जोड़ने की आवश्यकता है। इस पर कार्य किया जा रहा है।

(ii) **Time Motion Study:** खादी बोर्ड के PMA द्वारा Time Motion Study किया गया, जिसमें ये पता चला कि खादी संस्थाओं में कार्य कर रहे कतिनों/बुनकरों को कितना मजदूरी भुगतान हो रहा हैं। इस Study में ये पता लगा कि बिहार सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी भी कतिनों/बुनकरों को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सूत कातने वाले कतिनों को मजदूरी का भुगतान काते गये सूत के गुंडी के हिसाब से किया जाता है, जिसके दर का निर्धारण खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) द्वारा किया जाता है। KVIC के इस बिन्दु को उठाया गया तथा KVIC द्वारा प्रति गुंडी के दर को रू.–5.5 से बढ़ाकर रू.–6.5 और पुनः इसे बढ़ाकर रू0–7.5 प्रति गुंडी किया गया।

(iii) **Inventory Management System:** खादी बोर्ड के PMA द्वारा खादी बोर्ड के शो–रूम, पटना एवं पटना के बाहर के बिक्री केन्द्रों में IMS System को लागू किया गया, इसके अलावा 41 खादी संस्थाओं में भी यह लागू किया गया है।

बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के गाँधी मैदान, पटना स्थित पुराने शो–रूम का रिनोवेशन का कार्य पुरा हो गया है, जिसमें खादी मॉल खोला गया है। जिसका उद्घाटन दिनांक–05.11.2019 को माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा किया गया है, जिसमें खादी के सूती, रेशमी, ऊनी एवं पॉली वस्त्रों का अलग–अलग सेक्शन है। इसके अतिरिक्त ग्रामोद्योगी सामग्रियों के उत्पादों का भी अलग–अलग सेक्शन है।

बिहार एवं अन्य राज्यों के भी खादी वस्त्रों एवं ग्रामोद्योगी सामग्रियों के उत्कृष्ट उत्पाद को रखा गया है, जो ग्राहकों के बीच काफी लोकप्रिय हो रहा है। ग्राहक संतुष्ट दिख रहे हैं। बिक्री अपेक्षाकृत अधिक है। खादी मॉल तीन तल्ला का बनाया गया है। यह पूर्णतः वातानुकूलित है। मॉल में आम जनता के लिये एक Cafeteria की भी व्यवस्था की गई है, जिसमें बिहार के लोकप्रिय स्वादिष्ट व्यंजन उपलब्ध करायी गई है।

बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के गाँधी मैदान, पटना स्थित कार्यालय 7 तल्ला का तैयार किया जा रहा है, जिसका कार्य अंतिम चरण में है। संवेदक द्वारा कहा गया है कि इस माह के अंत तक इसे तैयार कर सुपुर्द कर दिया जायेगा।

खादी मॉल एवं खादी पार्क का निर्माण :

स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान खादी का प्रयोग भारतीय जनता के आर्थिक शोषण के विरूद्ध राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी द्वारा शुरू किये गए शांतिपूर्ण आन्दोलन का महत्वपूर्ण हिस्सा था। इसलिए खादी सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं है बल्कि एक विचारधारा है और समृद्ध विरासत के रूप में हमारे सामने है। वर्तमान दौर में जब अमीर–गरीब के बीच की आर्थिक खाई और चौड़ी होती जा रही है, उसे पाटने में खादी एक कारगर हथियार हो सकता है। खादी प्रक्षेत्र को बढ़ावा देकर ग्रामीण एवं शहरी इलाकों के गरीब तबकों को उनके दरवाजे पर रोजगार मुहैया कराकर समतामूलक समाज की कल्पना को साकार किया जा सकता है। इसलिए बिहार में बापू के ग्राम स्वराज्य की कल्पना को आगे बढ़ाने के लिए हमने खादी पुनरूद्धार योजना प्रारंभ की है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बुनकरों और कतिनों को प्रशिक्षण देकर रोजगार एवं आय के नए अवसर सृजित किये जा रहे हैं। बिहार खादी का ब्रान्ड विकसित किया गया है और खादी में नए–नए डिजाइन तैयार कर उसकी बिक्री प्रारंभ की गई है। इसके लिए देश के सिबसे बड़े खादी मॉल का निर्माण पटना के पूर्वी गाँधी मैदान में किया गया है, जिसका उद्घाटन पिछले 5 नवम्बर को माननीय

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया है। इस मॉल में खादी वस्त्रों की रिकार्ड तोड़ बिक्री को देखते हुए हमने राज्य के गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर एवं छपरा में खादी पार्क का निर्माण का निर्णय लिया है। इन जगहों पर खादी पार्क बनाने के लिए मॉडल को मंजूरी दे दी गई है और अब उनका निर्माण कार्य प्रारम्भ हो जायेगा।

हमने दिल्ली के बाबा खड़ग सिंह मार्ग पर अवस्थित बिहार इम्पोरियम का लगभग चार करोड़ की लागत से जीर्णोद्धार कराया है और उस भव्य एवं आकर्षक बिहार इम्पोरियम में खादी, हस्तशिल्प एवं सिल्क की बिक्री प्रारम्भ कर दी गई है।

हैण्डलूम एवं हैण्डीक्राफ्ट हाट का निर्माण :

बिहार के औद्योगिक पुनर्निर्माण में हस्तकरधा एवं विद्युतकरधा प्रक्षेत्र का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह क्षेत्र एवं हुनर पर आधारित कुटीर एवं लघु उद्योग है, जिसमें रोजगार सृजन की विपुल संभावनायें है। यह क्षेत्र ग्रामीण आर्थिक विकास के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसलिए हमने राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से हस्तकरघा एवं विद्युतकरघा प्रक्षेत्र के विकास पर पूरा जोर दिया है। इसके तहत शत–प्रतिशत अनुदान पर लूम क्रय तथा बुनकरों के लिए कर्मशाला का निर्माण कराया गया है। इसके साथ ही उसने मुख्यमंत्री कोशी मलवरी परियोजना और मुख्यमंत्री तसर विकास परियोजना का क्रियान्वयन कर हस्तकरघा क्षेत्र के नयी ऊँचाई देने की कोशिश की है। आप सभी जानते हैं कि मधुबनी का सूती वस्त्र और भागलपुर का सिल्क उद्योग अपनी खूबियों के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है। लेकिन अभी तक पटना में एक भी ऐसी दुकान नहीं है, जहाँ से लोग हैण्डलूम उत्पादों को खरीद सके। दूसरी तरफ राज्य के बुनकरों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे पटना में किराया पर दुकान लेकर अपने उत्पादों की बिक्री कर सके। पटना में लैण्डलूम हाट की मांग राज्य के बुनकरों द्वारा की जा रही थी। इसलिए हमने पटना के फ्रेजर रोड स्थित बिहार राज्य वित्त निगम के भवन में भूतल से लेकर द्वितीय तल तक हैण्डलूम हाट का निर्माण कराने का निर्देश दिया है। इस हैण्डलूम हाट में लगभग 16000 वर्गफीट जमीन पर हाट का निर्माण कराया जा रहा है। इसमें से 10500 वर्गफीट पर हैण्डलूम तथा 5500 वर्गफीट पर राज्य के श्रेष्ठ शिल्पियों एवं बुनकरों द्वारा निर्मित सामानों की बिक्री की जायेगी। इस हैण्डलूम हाट का संचालन उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना द्वारा किया जायेगा। हैण्डलूम हाट उद्घाटन के लिए हमें 22 मार्च, 2020 की समय–सीमा भी निर्धारित कर दी है।

★ बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार :

बियाडा अंतर्गत चार क्षेत्रीय कार्यालय है, जिनके अधीन कुल 52 औद्योगिक क्षेत्र/प्रांगण/विकास केन्द्र एवं मेगा औद्योगिक पार्क अवस्थित है। वर्ष 2019–2020 में उद्योग की स्थापना हेतु 70 इकाइयों के बीच 32.62 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया है। इस आवंटन में कुल 299.20 करोड़ रूपये का निवेश होगा एवं कुल 5212 लोगों को रोजगार की प्राप्ति होगी। वर्त्तमान समय में बियाडा में कुल 2534 औद्योगिक इकाइयाँ है, जिनमें से 1676 इकाइयाँ कार्यरत है।

★ आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार :

आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार के द्वारा खादी मॉल, पटना का निर्माण कार्य पूरा किये जाने के साथ–साथ जिला उद्योग केन्द्र– औरंगाबाद, बक्सर, खगड़िया, पूर्णियाँ, जहानाबाद, छपरा, मधेपुरा, नवादा, सुपौल के भवन का रिनोवेशन किया गया है।

वर्ष 2020–21 का भावी योजनाएं

★ खादी पार्क गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर एवं छपरा में बनाने का निर्णय लिया गया है।

★ बिहार राज्य वित्त निगम मुख्यालय, पटना अवस्थित भवन, फ्रेजर रोड, पटना में हैण्डलूम हाट बनाने का निर्णय लिया गया है। यह भवन के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल पर अवस्थित होगा।

★ लेदर पार्क, मुजफ्फरपुर का ₹14.00 करोड़ की लागत से निर्माण कराया जा रहा है। एक सौ शेड का निर्माण किया जा रहा है, जिसे छोटे–छोटे लेदर इकाई को आवंटित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त इन उद्यमियों की सुविधा हेतु एक सी0एफ0सी0 का निर्माण भी किया जा रहा है।

★ ₹13.64 करोड़ की लागत से रेशम नगरी भागलपुर में हस्तकरघा एवं रेशम भवन का निर्माण कराया जा रहा है।

★ मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना।

★ Common Effluent Treatment Plant की स्थापनाः माननीय एन0टी0जी0 के द्वारा पारित आदेश के आलोक में राज्य में अवस्थित 10 औद्योगिक क्षेत्र/प्रांगण में सी0ई0टी0पी0 की स्थापना किया जाना है। जिसके कुल प्राक्कलित राशि ₹600.00 करोड़ तीन चरणों में उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 मद में ₹10.00 करोड़ राशि का उद्व्यय कर्णांकित किया गया है।

- उद्योग मित्र, उद्योग विभाग की ओर से राज्य सरकार एवं उद्यमियों के बीच Coordination एवं Facilitator का कार्य करना।
- राज्य के उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने हेतु वांछित सलाह, प्रोजेक्ट–प्रोफाईल, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति–2016, बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2017, एस0आई0पी0बी0, मुख्यमंत्री अनु0 जाति/अनु0 जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना आदि से संबंधित जानकारी/परामर्श देना।

पी.एम.सी.एच. पटना में खादी पर फैशन–शो का आयोजन

जय माता दी फूड प्रोसेसिंग प्र.लि., बेला, बिहटा, पटना

मे. स्टारलोन नेचुरल (ओ.पी.सी.) प्रा.लि., बेगूसराय

बिहार सरकार

उद्योग विभाग

Conceptualized, Designed & Printed by:
punament@gmail.com